



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा

एकादश सत्र

अंक-12

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12, 14 एवं 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री खेलसाय सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 44 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखा।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

4. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि वाणिज्यिक कर मंत्री ने दिनांक 16/3/2017 को दिए गए भाषण में बोधि वृक्ष का उल्लेख किया है। तत्संबंध में कार्यवाही देखकर व्यवस्था दिये जाने का अनुरोध किया।

माननीय सभापति ने कथन किया कि मैं कार्यवाही देखूंगा यदि व्यवस्था लायक कोई बात होगी तो अवगत कराऊंगा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जांजगीर जिला अस्पताल में कुपोषण से एक बच्ची की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवशंकर पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य (अनुपस्थित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - आज प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात् माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने दिनांक 16 मार्च, 2017 को माननीय मंत्री, वाणिज्यिक कर द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अंशों को उद्धृत कर आसंदी से व्यवस्था का अनुरोध किया था तब मैंने यह कहा था कि कार्यवाही देखकर यदि कुछ व्यवस्था लायक होगा तो मैं सदन को अवगत कराऊंगा। मैंने कार्यवाही देखी, कार्यवाही में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर व्यवस्था देना अपेक्षित हो।

7. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

माननीय लोक निर्माण मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, गुरुमुख सिंह होरा, श्यामबिहारी जायसवाल,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अरूण वोरा, अवधेश सिंह चंदेल, भोलाराम साहू,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. सनम जांगड़े, डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. प्रीतम राम, सर्वश्री केशव चंद्रा, शंकर धुवा, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, श्यामलाल कंवर, रामलाल चौहान,

(माननीय सभापति ने सूचित किया कि आज की कार्यसूची में अशासकीय कार्य सम्मिलित है।
जिसके लिए अंतिम 2.30 घंटा निर्धारित है।

पक्ष एवं प्रतिपक्ष की सहमति से अशासकीय कार्य किसी आगामी दिवस में लिया जायेगा।)

श्री दलेश्वर साहू, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री मोहन मरकाम, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, (डॉ.) खिलावन साहू, राजेन्द्र कुमार राय, जनकराम वर्मा, दीपक बैज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेश बघेल।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 (2) की मांगे प्रस्तुत होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर श्री भूपेश बघेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री श्यामलाल कंवर, डॉ. प्रीतम राम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री जनकराम वर्मा, श्रीमती देवती कर्मा मांग संख्या-14 पर श्री भूपेश बघेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, बघेल लखेश्वर, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री जनकराम वर्मा मांग संख्या-16 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अमरजीत भगत मांग संख्या-54 पर श्रीमती अनिला भेंडिया मांग संख्या-23 श्री भूपेश बघेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, मोतीलाल देवांगन, बघेल लखेश्वर, श्यामलाल कंवर, दलेश्वर साहू, श्रीमती अनिला भेंडिया, डॉ.प्रीतम राम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री मोहन मरकाम मांग संख्या-40 पर श्री भूपेश बघेल, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री भोलाराम साहू, बघेल लखेश्वर, श्रीमती अनिला भेंडिया मांग संख्या-75 पर श्री भूपेश बघेल मांग संख्या-51 पर डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।

श्री अमरजीत भगत, सदस्य

सायं 6.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017 (फाल्गुन-29, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा